आदि ... किये गये। प्रथम पक्षों पर
दस्तावेजात दर्ज किये गये। प्रार्थना पत्र
जमीन नामान्तकरण पर अपीलान्ट बहस सुनी
गयी। वास्ते आदेश पत्रावली दि० 29/7/24
को पेश हो।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

29/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट
उपस्थित। बहस अपीलान्ट वकील पर
मनन किया। पत्रावली का अवलोकन
किया गया। अपीलान्ट वकील बहस
पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन
के आधार पर जमीन अपीलान्ट स्वीकार
की जाती है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा
जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालना
हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी
हो। पत्रावली फैसलशुदा होकर बाद
तकमील दाखिल दफ्तर हो।

[signature] 29/7/24

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्याः– 02/2023
प्रकरण दायर दिनांकः–22.08.2023
प्रकरण निर्णय दिनांकः– 29.07.2024

उनवान

1. हरिसिंह पुत्र सुरना राम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 9 कुटी बाँदीकुई तह. बाँदीकुई जिला दौसा राजस्थान।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील बाँदीकुई जिला दौसा

अपील विरूद्ध नामान्तकरण

अपीलान्ट द्वारा अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 270 आदेश दिनांकः 26.05.1981 सरपंच ग्राम पंचायत श्यालावा खुर्द तहसील बसवा जिला जयपुर इस आशय का पेश किया कि ग्राम श्यालावास खुर्द तह. बसवा हाल तह. बाँदीकुई की जमाबन्दी के साबिक खसरा नंबरान 423, 424/1, 423/3 कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 9 बीस्वा जिसके वर्तमान खाता सं. नया 132 पुराना 134 के खसरा नंबरान 1083 लगायत 1086, 1097, 1098, 1099 कुल किता 7 कुल रकबा 0.62 हैक्ट. वाके ग्राम श्यालावास खुर्द तहसील बाँदीकुई जिला दौसा में स्थित है उक्त भूमि अपीलान्ट के पिता सुख्या पुत्र खैराती का हिस्सा 7/15 मुताबिक जमाबन्दी वर्तमान आज दिन तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज अंकित चला आ रहा है। उपरोक्त भूमि साबिक खसरा नंबर 423, 424/1, 423/3 कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 9 बीस्वा के पूर्व खातेदार खैराती पुत्र महादेवा के फौत होने के उपरान्त विरासत का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट नंबर 2 द्वारा खोलने पर सरपंच ग्राम पंचायत श्यालावासखुर्द्र द्वारा गलत जानकारी की वजह से अपीलान्ट के पिता का नाम सुख्या पुत्र खैराती नामान्तकरण सं. 270 दिनांकः 26.05.1981 गलत दर्ज कर दिया गया क्योंकि अपीलान्ट के पिता का नाम सुख्या न होकर सुरना राम पुत्र खैराती है उक्त गलत नामान्तकरण व जमाबन्दी में गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर अपीलान्ट द्वारा अपील पेश है। अतः अपीलान्ट की ओर से अपील पेश कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत श्यालावास खुर्द तह. बसवा द्वारा खोला गया नामान्तकरण संख्या 270 दिनांकः 26.05.1981 में अपीलान्ट के पिता का सही नाम सुरना राम दर्ज फरमाया जावे व गलत नाम सुख्या पुत्र खैराती को हजफ फरमाकर उसके स्थान पर सुरना राम पुत्र खैराती का नाम नामान्तकरण में तथा सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज फरमाये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जर्ये नोटिस विधिवत की गई। रेस्पोंडेन्ट सं. 1 बावजूद जर्ये रजिस्टर्ड ए. डी. नोटिस तामील उपस्थित नहीं आने पर रेस्पोंडेन्ट सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते नाम हजफ किये जाने रेस्पोन्डेन्ट सं.

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

अपील
02
2023

का पेश किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट सं. 02 का नाम हजफ किया गया। शपथ पत्र साक्ष्य घासीराम कुम्हार पुत्र रामचन्द्र कुम्हार एवं हरिसिंह पुत्र सुरना राम जाति कुम्हार के पेश किये गये। शपथ पत्रों पर दस्तावेजात प्रदर्श डाले गये। प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलान्ट बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान किया। हमने अपीलान्ट वकील बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एव पत्रावली में संलग्न दस्तावेजातों का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण सं. 270 ग्राम श्यालावास खुर्द विरासत से सुक्खा पि. खैराती के नाम से दर्ज हुआ है। जिसका राजस्व जमाबन्दी संवत 2074–2077 ग्राम श्यालावास खुर्द खाता सं नया 132 पुराना 134 में सुख्या पुत्र खैराती दर्ज रिकार्ड हुआ है। पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजात मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में अपीलान्ट के पिता का नाम सुरना राम दर्ज है। प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्रों में भी अपीलान्ट के पिता का नाम सुरना राम होना स्वीकार किया है। उपरोक्त अवलोकन से नामान्तकरण संख्या 270 ग्राम श्यालावास खुर्द दिनांकः 26.05.1981 में अपीलान्ट के पिता के नाम में सहवन से त्रुटि कारित होना प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन से अपीलान्ट अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपीलान्ट वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन के आधार पर अपीलान्ट अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 270 आदेश दिनांकः 26.05.1981 सरपंच ग्राम पंचायत श्यालावास खुर्द तहसील बसवा जिला जयपुर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा नामान्तकरण संख्या 270 दिनांकः 26.05.1981 में दर्ज अपीलान्ट के पिता का गलत नाम सुख्या पुत्र खैराती को हजफ कर उसके स्थान पर सुरना राम पुत्र खैराती दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार बॉदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 29.07.2024 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

29/7/24

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner